भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या: 2750</u>

<u>मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

व्यापार में सुगमता के लिए ढांचा

2750. श्री शशांक मणिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जिला स्तर पर व्यापार करने में सुगमता के लिए ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि स्थानीय व्यापारिक परिस्थितियों, उद्यमिता आवश्यकताओं एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व का आकलन किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो जिला निष्पादन मूल्यांकन हेतु एकल खिड़की प्रणाली, स्वीकृतियाँ, निवेशक सुविधा एवं एमएसएमई ऑनबोर्डिंग सहित विचाराधीन मापदंड क्या हैं;

(ग) क्या जिला-विशिष्ट व्यापारिक बाधाओं एवं कार्य में सहायक पक्षों के मापन के लिए कोई पायलट अध्ययन किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का राज्य प्राधिकारियों के समन्वय से नए उद्यमों हेतु त्वरित सेवा वितरण और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए जिला उद्यमिता प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने, विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवा आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार, वर्ष 2015 से व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) का कार्यान्वयन कर रही है। यह स्वीकार करते हुए कि व्यावसायिक संगठन प्रायः जिला स्तर के संस्थानों से संपर्क करते हैं, दिसंबर, 2024 में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ईओडीबी सुधारों को जमीनी स्तर पर उतारने की जरूरत पर बल दिया गया।

इसे ध्यान में रखते हुए, डीपीआईआईटी ने जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना (डीबीआरएपी) की शुरुआत की है। यह राज्यों के नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य बीआरएपी को जिलों में स्थानीय स्तर पर उतारना है। डीबीआरएपी को

अंतिम छोर तक आपूर्ति को सुदृढ़ करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और जिलों को मजबूत संस्थागत और डिजिटल अवसंरचना से युक्त करके क्षेत्रीय विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुधार सभी जिला कलेक्ट्रेटों, विकास प्राधिकरणों और शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किए जाएंगे, जो विनियामक अनुमोदनों, निरीक्षणों तथा व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस संबंध में, डीपीआईआईटी ने व्यापक डी-बीआरएपी 2025 कार्यान्वयन गाइडबुक जारी की है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए संरचनाबद्ध जिला-स्तरीय फ्रेमवर्क का निर्धारण करती है। यह गाइडबुक छह प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है, जो निम्नानुसार हैं:

1. जिला-स्तरीय अनुमोदन और सेवा की आपूर्ति।
2. संपत्ति रिकॉर्डों का डिजिटाइजेशन और म्यूटेशन।
3. समयबद्ध और जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली।
4. जिला-स्तरीय निवेश सुविधा तंत्र।
5. टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए उपाय और
6. औद्योगिक पार्कों और स्थानीय अवंसरचना को सुदृढ़ करना।

कुल 154 सुधारों की पहचान की गई है, जिनमें से प्रत्येक का एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य और मूल्यांकन चेकलिस्ट है ताकि जिलों में एक समान कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके। इन सुधारों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इनसे व्यवसायों के लिए पूर्वानुमान की स्थिति में सुधार आए और जिला-स्तर पर ऐसा प्रतिस्पर्धी ईकोसिस्टम तैयार हो सके, जो एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और नए निवेश को सहायता प्रदान करे।

(ख): जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना (डी-बीआरएपी) 2025 के तहत, प्रत्येक सुधार के साथ जिले के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत आकलन चेकलिस्ट भी प्रदान की गई है। इन मापदंडों को निम्नानुसार विषयगत श्रेणियों में बांटा गया है:

1. सेवा की आपूर्ति और सिंगल विंडो सिस्टम

- संपूर्ण व्यवसाय चक्र के दौरान सिंगल विंडो सिस्टम या विभागीय पोर्टलों के माध्यम से अनुमोदनों, लाइसेंसों और सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान करना।
- एमएसएमई और उद्यमों के लिए ऑनलाइन ऋण सुविधा टूल्स की उपलब्धता।

2. **भूमि और संपत्ति गवर्नेंस**

- कैडेस्ट्रल मानचित्रों सहित संपत्ति और भूमि रिकॉर्डों का डिजिटाइजेशन।
- भूमि/संपत्ति से संबंधित न्यायालयी मामलों की जानकारी की डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर उपलब्धता।

3. **निरीक्षण और अनुपालन प्रणाली**

- जिला-स्तरीय निरीक्षण डाटा सहित ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा समर्थित समयबद्ध, पारदर्शी निरीक्षण प्रक्रियाएं।

4. निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करना

डीबीआरएपी का उद्देश्य, जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) को प्राथमिक सुविधा बिंदुओं के रूप में सुदृढ़ करते हुए संभावित उद्योग के संबंध में स्पष्ट, जिला-स्तरीय सूचना प्रदान करते हुए निवेशकों को सशक्त बनाना है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीआईसी एक्सेस योग्य, पूर्णतःतैयार और आईटी समर्थित हों; प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियोजित करें; नीतियों और सिंगल विंडो सिस्टम के संबंध में नियमित रूप से क्षमता-निर्माण करें; सूचना के संसाधनों को अद्यतन बनाए रखें; विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मैपिंग करें; बड़े निवेश प्रस्तावों को अपेक्षित समर्थन प्रदान करें; और विशेषज्ञ एक्सेस, फीडबैक तथा मॉनीटरिंग के लिए प्रणाली तैयार करें।

निवेशकों की संख्या, समाधान में लगने वाले समय और सेवा की गुणवत्ता संबंधी जानकारी को ट्रैक करके जमीनी स्तर पर डीआईसी के कार्य-निष्पादन को प्रभावी बनाना जिलों का उत्तरदायित्व है। उनके लिए निवेशकों संबंधी डाटा को नियमित रूप से अद्यतन करना, स्थानीय उद्योगों और अकादमिक जगत से जुड़ना, कार्य-निष्पादन और प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, प्रशिक्षण ट्रैकर बनाना, अपनाई गई श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों का रिकार्ड रखना, उपयोगकर्ता फ़ीडबैक एकत्रित करना और राज्यों के पैनलों के लिए स्थानीय विशेषज्ञों की पहचान आवश्यक है।

5. एमएसएमई और स्टार्ट-अप सहायता

जिला उद्योग केंद्रों (डीसीआई) और सीएसआईआर नवप्रयोग परिसरों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) करना। जिला स्तरीय लिंकेजों के माध्यम से सीएसआईआर की सुविधाओं या सेवाओं का उपयोग करने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या। मूल्यांकन के भाग के रूप में, राज्य

और संघ राज्य क्षेत्र साक्ष्य-आधारित आकलन के माध्यम से इन मापदंडों के आधार पर अपने-अपने जिलों का आकलन करते हैं, जिसमें दस्तावेजों की जांच करना, सिस्टम स्क्रीनशॉट शामिल हैं, और इसमें आगे की समीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट संख्या में जिलों को नामित किया जाता है।

(ग): जिला बीआरएपी के संबंध में प्रमुख उद्योग संघों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया और उनके सुझावों को अंतिम दस्तावेज में शामिल किया गया।

(घ) और (ङ): डी-बीआरएपी 2025 के अंतर्गत टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित सुधार क्षेत्र शामिल है, जिसका उद्देश्य जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) के तहत स्टार्टअप प्रकोष्ठ जैसी इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर उद्यमिता विकास को सुदृढ़ बनाना है। इन प्रकोष्ठों की परिकल्पना, जिला स्तर पर नए और मौजूदा स्टार्टअप के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। इनकी प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल हैं-

- उद्यमियों को आवेदन प्रक्रियाओं, अनुमोदनों और शिकायत निवारण में सहायता और सुविधा प्रदान करना।
- स्टार्टअप्स को भास्कर पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने में सहायता करना, ताकि उनकी विजिबिलिटी बढ़े और स्कीमों तक उनकी पहुंच आसान हो।
- केंद्र और राज्यों की स्कीमों के तहत पात्र स्टार्टअप्स के लिए ऋण पहुंच में सुधार के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करना।
- विशेष रूप से सीमित अवसंरचना वाले छोटे शहरों में इन्क्यूबेशन सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देना।
- व्यवसाय विकास और कौशल संवर्धन में सहायता के लिए स्टार्टअप्स को क्षेत्रगत विशेषज्ञों, अनुभवी उद्यमियों और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने वाले संरचनाबद्ध मेंटरिंग नेटवर्क का निर्माण करना।

*****